उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-95/2017/आर-92रिट/26-3-2017-4(2)/2012टी.सी.

लखनऊ दिनांक-15-06-2017

कार्यालय ज्ञाप

जिलाधिकारी, महामायानगर की रिपोर्ट दिनांक-02.08.2011 द्वारा जनपद-महामायानगर (हाथरस) में वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के वितरण में अनियमितता प्रकाश में आने पर शासनादेश संख्या-2685/26-3-2011, दिनांक-27.09.2011 द्वारा जनपद-हाथरस की निम्नलिखित 09 शिक्षण संस्थाओं को 'ब्लैकलिस्ट' किया गयाः-

1-हरप्रसाद मान सिंह, ठैनुआ डिग्री कालेज, नगला उम्मेद, रूहेरी हाथरस।

2- सी0एल0जी0 कालेज आफ एजूकेशन हाथरस।

3- नारायणी देवी महाविद्यालय हाथरस।

4-श्री मोहन पैरामेडिकल महाविद्यालय, लालगढ़ी सादाबाद, हाथरस।

5-टीकाराम महाविद्यालय, तहसील, सादाबाद, हाथरस।

6-के0सी0 एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट हाथरस।

7-एस0एस0एम0पी0जी0 कालेज हाथरस।

8-श्रीमती मिथिलेश शर्मा महाविद्यालय, हाथरस।

9-श्रीमती हरप्यारी देवी डिग्री कालेज, हाथरस।

2- शासन के उक्त आदेश दिनांक-27.09.2011 के विरूद्ध 05 शिक्षण संस्थाओं द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-30731/2016 कमेटी आफ मैनेजमेन्ट नारायणी देवी महाविद्यालय हाथरस व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायलाय द्वारा दिनांक-17.10.2016 को निम्नवत् आदेश पारित किया गयाः-

1. Petitioners, before this Court, are five institutions, which have been blacklisted by the State of Uttar Pradesh on the charge that they have embezzled funds, which were liable to be disbursed as scholarship as well as fee reimbursement to their students. The decision to blacklist the petitioners have been taken apparently with reference to a Government Order dated 26.6.2006. The continuance of order impugned is assailed on the ground that in terms of applicable Government Order issued on 3rd December, 2014, an order of blacklisting, in such circumstances, could continue only for a period of 05 years and not thereafter.

2. Sri Ashok Khare, learned Senior Counsel appearing for the petitioners, submits that since the period of 05 years has apparently expired, there is no justification for order impugned to be continued any further, and the benefit of scholarship and fee reimbursement be extended to the students of petitioners institutions.

3. Before proceeding further, it would be appropriate to reproduce Clause (xi) of the Government Order dated 3rd December, 2014:- "**xi-**.काली सूची में अन्तरित किया गया शिक्षण संस्थाना आगामी 05 वर्षो के लिए सभी पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिये अयोग्य हो जायेगा। उक्तानुसार काली सूची में अन्तरित शिक्षण संस्थान को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के मास्टर डाटा से 05 वर्षो के लिए प्रतिबन्धित किया जायेगा।''

4. Learned Standing Counsel has not disputed the policy of State that an order of blacklisting in the context of extending benefit of scholarship and fee reimbursement ordinarily continues upto a period of 05 years. It is further not in dispute that period of 05 years has already expired. Learned Standing Counsel, therefore, fairly states that State, in such circumstances, shall re-visit the issue.

5. Having considered the submissions advanced, this Court finds that in terms of the applicable policy, the order of blacklisting is to continue for a period of 05 years, which has already expired. Ordinarily, such order of blacklisting ought not to be extended beyond a period of 05 years, as per the policy of State itself.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. The State Government, therefore, is directed to re-visit the issue, and in case it is found that there is no other allegation or material adverse existing on record against the petitioners, the benefit of scholarship and fee reimbursement shall not be denied to the students of petitioners institutions beyond a period of 05 years. Requisite order in that regard shall be passed by the State Government, within a period of four weeks from the date of presentation of a certified copy of this order. The respondent State shall also consider the petitioners' claim for extending the period, within which application for applying for fee reimbursement and scholarship is expected to be made by the students of the petitioners institutions. It is, however, clarified that if any other criminal proceedings etc. have been instituted by the State, in the matter of disbursement of scholarship, the same shall be examined independently, and would not be affected by the orders passed in the present writ petition.

7. With the aforesaid observations/directions, the writ petition stands disposed of.

3- याची शिक्षण संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रत्यावेदन दिनांक-24.10.2016 के साथ मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की प्रति शासन को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी। प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक, समाज कल्याण के पत्रांक-4643/स.क.शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-14.12.2016 शासन को आख्या उपलब्ध करायी गयी। निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुशीलन से यह स्थिति प्रकाश में आयी कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में अनियमितता बरतने पर दोषी शिक्षण संस्थाओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ब्लैकलिस्ट किये जाने, मान्यता प्रत्याहरण कराने, एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर अन्य विधिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की ओर से निर्गत समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-2312/26-3-2014, दिनांक-03.12.2014 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक-03.12.2014 में दोषी शिक्षण संस्थाओं को 05 वर्ष की अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट किये जाने का प्राविधान है। प्रश्नगत याची शिक्षण संस्थाओं को शासनादेश द्वारा दिनांक-27.09.2011 से 'ब्लैकलिस्ट' किये जाने के कारण ब्लैकलिस्ट की निर्धारित 05 वर्ष की अवधि दिनांक-27.09.2016 को समाप्त हो गयी है।

4- अतएव मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के दिनांक-17.10.2016 के अनुपालन में शासनादेश दिनांक-27.09.2011 द्वारा ब्लैकलिस्ट की गयी निम्नलिखित 05 शिक्षण संस्थाओं को तत्कालिक प्रभाव से ब्लैकलिस्ट से मुक्त किया जाता हैः-

1-के0सी0 एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट हाथरस।

2- नारायणी देवी महाविद्यालय हाथरस।

3-एस0एस0एम0 पी0जी0 कालेज हाथरस।

4-श्रीमती मिथिलेश शर्मा महाविद्यालय, हाथरस।

5-सी0एल0जी0 कालेज आफ एजूकेशन हाथरस।

5- उल्लेखनीय है कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में अनियमितता बरतने सम्बन्धी प्रकरण में जनपद-महामायानगर (हाथरस) की 19 शिक्षण संस्थाओं (जिसमें प्रश्नगत 05 शिक्षण संस्थायें भी सम्मिलित है) के विरूद्ध आर्थिक अनुसंधान संगठन की जाँच प्रचलित है। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन की जाँच रिपोर्ट अभी प्राप्त नही हुई है। ई0ओ0डब्लू0 की जाँच रिपोर्ट भविष्य में प्राप्त होने पर याची शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में यदि कोई आपराधिक कृत्य/आरोप प्रमाणित होता है तो भविष्य में इन संस्थाओं के विरूद्ध पृथक से नियमानुसार विभाग द्वारा विधिक कार्यवाही की करायी जायेगी।

6- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना यथा संशोधित नियमावली में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रश्नगत याची शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रक्रियानुसार आवेदन करने पर सुसंगत नियमावली में उल्लिखित प्रक्रिया/प्राविधानो के अनुसार उनके सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-95/2017/आर-92रिट(1) /26-3-2017 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

2 निदेशक, समाज कल्याण, उ.प्र.लखनऊ को उनके पत्रांक-4643/स.क./शिक्षा-अ/2016-17दिनांक-14.12.2016 के सन्दर्भ में।

3- जिलाधिकारी, हाथरस।

4- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

5- तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, राज्य इकाई योजना भवन, लखनऊ।

6- उपनिदेशक, समाज कल्याण, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

7- क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी, हाथरस।

8- जिला समाज कल्याण अधिकारी, हाथरस।

9- सम्बन्धित याची शिक्षण संस्था-द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।